रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 2005/वैशाख 15, 1927
No. 185] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2005/VAISAKHA 15, 1927

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2005

सा.का.नि. 272(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात -

1. ये नियम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2005 कहे जाएंगे।

2. ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची VI में " **क क विनिर्माण प्रक्रम पर वाहनों के लिए ध्वनि सीमाएं**",से संबंधित भाग (ड.) में, उप-पैरा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा,अर्थात :-

"परन्तु क्रम सं0 3.0 से 6.3 में उल्लिखित वाहनों के लिए निम्नलिखित राज्यों के लिए ध्वनि सीमाएं, उन राज्यों के सामने विर्निदिष्ट तारीख से ही लागू होंगी, -

(i) हिमाचल प्रदेश, 1 अक्तूबर, 2005 से प्रभावी
(ii) जम्मू और कश्मीर, 1 अक्तूबर, 2005 से प्रभावी
(iii) मध्य प्रदेश, 1 सितम्बर, 2005 से प्रभावी
(iv) पंजाब, 1 अक्तूबर,2005 से प्रभावी
(v) राजस्थान, 1 जून, 2005 से प्रभावी
(vi) उत्तर प्रदेश (मथुरा, कन्नौज, मुजफ्फर नगर, अलीगढ़, फरुखाबाद, सहारनपुर, बदायूं, बरेली, मुरादाबाद, हाथरस, रामपुर, बिजनौर, आगरा, पीलीभीत, जे. पी. नगर, मैनपुरी, ललितपुर, हरदोई, फिरोजाबाद, झांसी,शाहजहां पुर, इटावा, जालौन, लखीम पुर खीरी, एटा, महोबा और सीतापुर), 1 जून, 2005 से प्रभावी"
(vii) उत्तरांचल, 1 जुलाई 2005 से प्रभावी"

[फा. सं. क्यू-16014/7/2002-सी पी ए]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम 19 नवम्बर 1986 की का.आ संख्या 844 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत पश्चात का. आ संख्या 433 (अ) तारीख 18 अप्रैल 1987; का.आ संख्या 64 (अ) तारीख 18 जनवरी 1988; का. आ 3 (अ) तारीख 3 जनवरी 1989; का. आ संख्या 190 (अ) तारीख 15 मार्च 1989; सा.का.नि. 913 (अ) तारीख 24 अक्तूबर, 1989; का.आ 12 (अ) तारीख 8 जनवरी, 1990, सा.का.नि. 742 (अ) तारीख 30 अगस्त 1990; का.आ 23 (अ) तारीख 16 जनवरी 1991; सा.का.नि.93 (अ) तारीख 21 फरवरी 1991; सा.का.नि.95 तारीख 12 फरवरी 1992; सा.का.नि. 329 (अ) तारीख 13 मार्च 1992; सा.का.नि.475; (अ) तारीख 5 मई 1992 सा.का.नि.797 (अ) तारीख 1 अक्तूबर 1992, सा.का.नि.386 (अ) तारीख 28 अप्रैल 1993, सा.का.नि. 422 (अ) तारीख 19 मई 1993; सा.का.नि. 801 (अ) तारीख 31 दिसम्बर 1993; सा.का.नि. 176 (अ) , तारीख 3 अप्रैल 1996; सा.का.नि.631 (अ) तारीख 31 अक्तूबर 1997 सा.का.नि.504 (अ) तारीख 20 अगस्त 1998; सा.का.नि.7 (अ) तारीख 2 जनवरी, 1999, सा.का.नि.682 (अ) तारीख 5 अक्टूबर, 1999; सा.का.नि.742 (अ) तारीख 25 सितम्बर 2000; सा.का.नि.72 (अ) तारीख 6 फरवरी 2001; सा.का.नि.54 (अ) तारीख 22 जनवरी 2002; सा.का.नि.संख्या 371 (अ) तारीख 17 मई 2002 और सा.का.नि.489 (अ) तारीख 9 जुलाई 2002; का.आ संख्या 1088 (अ) तारीख 11 अक्तूबर 2002; और सा.का.नि.849 (अ) तारीख 30 दिसम्बर 2002, सा.का.नि.520 (अ) तारीख 1 जुलाई, 2003; सा. का.नि.92 (अ) तारीख 29 जनवरी 2004; सा.का.नि.448 (अ) तारीख 12 जुलाई 2004 और शुद्धिपत्र सा.का.नि.520 (अ) तारीख 12 अगस्त 2004, द्वारा उनका संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2005

G.S.R. 272(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :-

(1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule VI in part E relating to **'AA Noise limits for vehicles at manufacturing stage'**, in sub-paragraph (2), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

"Provided that for vehicles mentioned at serial numbers 3.0 to 6.3, the noise limits for the following States shall be applicable on and from the date specified against that State,-

(i) Himachal Pradesh with effect from 1st October, 2005
(ii) Jammu and Kashmir with effect from 1st October, 2005
(iii) Madhya Pradesh with effect from 1st September, 2005
(iv) Punjab with effect from 1st October, 2005
(v) Rajasthan with effect from 1st June, 2005
(vi) Uttar Pradesh (Mathura, Kannauj, Muzaffarnagar, Aligarh, Farukkabad, Saharanpur, Badaun, Barreily, Moradabad, Hathras, Rampur, Bijnor, Agra, Pilibhit, J.P. Nagar, Mainpuri, Lalitpur, Hardoi, Ferozabad, Jhansi, Shahjahanpur, Etawah, Jalon, Lakhimpur Kheri, Etah, Mahoba and Sitapur) with effect from 1st June, 2005
(vii) Uttranchal with effect from 1st July, 2005"

[F. No. Q-16014/7/2002-CPA]
R. K. VAISH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844(E) 19th November, 1986 and subsequently amended vide S.O. 433(E) dated 18th April, 1987, S.O. 64(E) dated 18th January, 1988, S.O. 3(E) dated 3rd January, 1989, S.O. 190(E) dated 15th March, 1989, G.S.R. 913(E) dated the 24th October, 1989, S.O. 12(E) dated the 8th January, 1990, G.S.R. 742 (E) dated the 30th August, 1990, S.O. 23(E) dated the 16th January, 1991, G.S.R. 93(E) dated the 21st February, 1991 G.S.R. 95(E) dated the 12th February, 1992, G.S.R. 329(E) dated the 13th March,1992, G.S.R. 475(E) dated the 5th May, 1992, G.S.R. 797(E) dated the 1st October, 1992, G.S.R. 386(E) dated the 28th April, 1993, G.S.R. 422(E) dated the 19th May, 1993, G.S.R. 801(E) dated the 31st December, 1993, G.S.R. 176(E) dated the 3rd April, 1996, G.S.R. 631(E) dated the 31st October, 1997, G.S.R. 504(E) dated the 20th, August, 1998, G.S.R. 7(E) dated the 2nd January, 1999, G.S.R. 682(E) dated the 5th October,1999, G.S.R. 742(E) dated the 25th September, 2000, G.S.R. 72(E) dated the 6th February, 2001,

G.S.R. 54(E) dated the 22nd January, 2002, G.S.R. 371(E) dated the 17th May, 2002, G.S.R. 489(E) dated the 9th July, 2002, S.O. 1088(E) dated the 11th October, 2002 and G.S.R. 849(E) dated the 30th December, 2002, G.S.R. 520(E) dated 1st July, 2003, G.S.R. 92(E) dated 29th January, 2004, G.S.R. 448(E) dated 12th July, 2004, and Corrigenda G.S.R. 520(E) dated 12th August, 2004

.....

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.